



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 2963 वर्ष 2026

हरिश्चंद्र

याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता :

जानेंद्र कुमार मिश्र, रमेश कुमार मिश्र

प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता :

अचल सिंह, सीएससी

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी और अभिलेख का अध्ययन किया।
2. इस याचिका में पारित किए जाने वाले आदेश को देखते हुए, विपक्षी पक्ष को सूचित करना और इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखना उचित नहीं होगा। हालांकि, यदि विपक्षी पक्ष इस आदेश से असंतुष्ट है, तो उसे आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 2/उप मंडल मजिस्ट्रेट/सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी) मऊ, जिला चित्रकूट को यूपी भूमि राजस्व संहिता 2006 की धारा 24 के तहत मामला संख्या 3861/2025, कम्प्यूटरीकृत मामला संख्या T202507190203861 का निर्धारित अवधि के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए।
4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का तर्क है कि उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उपधारा (3) के तहत दिए गए प्रावधानों के अनुसार, इस प्रकार के आवेदनों का निर्णय समयबद्ध अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। धारा 24 की उपधारा (3) इस प्रकार है:-
(7). इस धारा के अंतर्गत प्रत्येक कार्यवाही, जहाँ तक संभव हो, आवेदन की तिथि से तीन माह के भीतर उप-विभागीय अधिकारी द्वारा समाप्त की जाएगी।
5. आगे यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि उपर्युक्त अवधि समाप्त हो चुकी है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए यह रिट याचिका दायर की गई है।
6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण करते हुए प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देश दिया जाता है कि वह उपरोक्त मामले का निर्णय यूपी राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उपधारा (3) के तहत दिए गए प्रावधानों के अनुसार करे, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

5 फरवरी, 2026
प्रमोद त्रिपाठी

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"